

[भारत के राजपत्र भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]


भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, मार्च, 2023

अधिसूचना

का. आ. _____ भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, श्री राजकुमार के स्थान पर श्री एम. जगन्नाथ (जन्म तिथि 16.5.1965), क्षेत्रीय प्रबंधक (प्रभारी), हैदराबाद जोन, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से अधिवर्षिता की तारीख (अर्थात् 31.5.2025) तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, 2,05,400 रुपए से 2,24,400 रुपए के वेतनमान में भारतीय जीवन बीमा निगम में प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

(फा.सं. ए-11011/11/2022-बीमा-I)


13/3/2023
(जगजीत कुमार)
निदेशक